

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता , बुण्डू (राँची)
RM वाद संख्या-28/13-14
छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

24/8/13

आदेश

विक्रेता का नाम एवं पता -- श्री राजाराम महतो पिता-स्व० भगत महतो
ग्राम-नीमडीह पोस्ट-बाबुरामडीह थाना-तमाड़
जिला-राँची।

क्रेता का नाम एवं पता- श्री सुकदेव महतो पिता-स्व० जगत महतो
ग्राम-कोकाडीह पोस्ट-रुगड़ी थाना-तमाड़
जिला-राँची।

विद्वान अधिवक्ता का नाम- श्री मनोज कुमार चौधरी।

विक्रेता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-08/05/13 को क्रेता श्री सुकदेव महतो पिता-स्व० जगत महतो ग्राम-कोकाडीह पोस्ट-रुगड़ी थाना-तमाड़ जिला-राँची के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
बुरुडीह	174	47	319	0.66 मध्ये 0.19 ए०

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी , तमाड़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई । साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम इस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी ,तमाड़ के पत्रांक-523(ii)दिनांक-17/08/13 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (क) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम विश्वनाथ महतो पंजी (11) के अनुसार भगत महतो दर्ज है।
- (ख) उपरोक्त भूमि के विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 0.47 एकड़ भूमि शेष बच जाती है।
- (ग) आवेदक को मकान बनाने के लिए पैसों की आवश्यकता है इसलिए भूमि की बिक्री करना चाहते हैं।
- (घ) दोनों क्रेता एवं विक्रेता पिछड़ी(कुर्मी) जाति के सदस्य है ,एवं एक ही जिला राँची के निवासी हैं।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, तमाड़ ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b के तहत विक्रेता श्री राजाराम महतो पिता-स्व0 भगत महतो ग्राम-नीमडीह पोस्ट-बाबुरामडीह थाना-तमाड़ जिला-राँची को क्रेता श्री सुकदेव महतो पिता-स्व0 जगत महतो ग्राम-कोकाडीह पोस्ट-रुगड़ी थाना-तमाड़ जिला-राँची के हाथों प्रस्तावित भूमि के विक्रय करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-08/05/13 को निर्गत आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

पुनः दिनांक-13/08/13 को विक्रेता एवं क्रेता का बयान न्यायालय में दर्ज किया गया। दिए गए बयान से स्पष्ट है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री विक्रेता के द्वारा मकान बनाने हेतु किया जाना है।

अतः अंचल अधिकारी, तमाड़ की अनुशंसा एवं विक्रेता के बयान के आलोक में निम्नलिखित भूमि को विक्रेता श्री राजाराम महतो पिता-स्व0 भगत महतो ग्राम-नीमडीह पोस्ट-बाबुरामडीह थाना-तमाड़ जिला-राँची को क्रेता श्री सुकदेव महतो पिता-स्व0 जगत महतो ग्राम-कोकाडीह पोस्ट-रुगड़ी थाना-तमाड़ जिला-राँची के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b के तहत दी जाती है। आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम पर नहीं करेंगे।

भूमि का वितरण

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
बुरुडीह	174	47	319	0.66 मध्ये 0.19 ए०

लेखापति एवं संशोधित

24/8/13

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू राँची।

24/8/13

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू राँची।